मु0अ0सं0-1/2023 धारा-07 भ्र0निवा0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम मोनिका गोयल मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्टिक—देहरादून संख्या—1/2023

घटना का दिनांक व समय- 18/01/2023

समय-18:30

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
गई	स्टेशन से दूरी	
19/01/2023	पशु चिकित्साधिकारी कक्ष राजकीय	द्वारा विशेष वाहक
03:45	पशु चिकित्सालय नौगाँव उत्तरकाशी	
	जनपद उत्तरकाशी दूरी लगभग 120	
	कि0मी0 दिशा उत्तर	

नोटः प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्ठि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास – स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
निरी0 श्रीमती विभा वर्मा सतर्कता अधिष्ठान देहरादून।	डा0 मोनिका गोयल D/O डा0 राजीव गोयल पशु चिकित्साधिकारी रा0पशु0 चिकित्सालय नौगाँव उत्तरकाशी। हाल सरकारी आवास ब्लाक परिसर नौगाँव जनपद उत्तरकाशी। मूल पता- गोयल अस्पताल निकट नेहरु पार्क मुरैना त0/जनपद मुरैना जनपद मुरैना मध्य पदेश।	आरोपी द्वारा सरकारी कार्य करने के एवज में शिकायतकर्ता श्री रोबिन से 8,000/- रुपये रिश्वत ग्रहण करते हुए गिरफ्तार होना जुर्म धारा 7 भ0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018)	काल मुकदमा तफ्तीशी िकिया गया। तफ्तीश श्रीमान पुलिस अधीक्षक र देहरादून महोदय के शि कुटियाल द्वारा की	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

ਧਟ_____

Suptt.of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

मु0अ0सं0-3/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम इन्द्रजीत सिंह राणा

मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्टिक—देहरादून संख्या—3/23

घटना का दिनांक व समय- 16/04/23

समय-21:31

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
गई	स्टेशन से दूरी	
17.04.23	कोतवाली ज्वालापुर आवासीय	द्वारा विशेष वाहक
05:05	परिसर जनपद हरिद्वार दूरी करीब 68	
	km दक्षिण	

नोटः प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिऐ और इसकी पुष्ठि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी	अभियुक्त का नाम व निवास –स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा	मुकदमें का परिणाम
का नाम व	ानपास –स्थान	(यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	पारणाम
निरीक्षक मनोज रावत, सतकेता अधिष्ठान देहरादूना	इन्द्रजीत सिंह राणा S/O श्री अमर सिंह राणा, आवास 632 Aटाईप-2 सैक्टर 4 BHELक्वाटर थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार। वर्तमान पता-SI थाना कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार।	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में 20,000/- रु0उत्कोच धन की मांग करना तथा उत्कोच लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार होना जुर्म धारा 7 भ्र0नि0अधि0	श्रीमान जी सूचना पर तुरन्त मुकदमा तफ्तीशी कायम किया गया। विवेचना निरी0 श्रीमति नूतन पंवार के द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

मु0अ0सं0-4/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम राजेन्द्र सिंह चौहान मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्टिक—देहरादून संख्या—4/2023

घटना का दिनांक व समय- 17/04/23

समय-15:37

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
17.4.23	चकबंदी अधिकारी चतुर्थ रुड़की तहसील रुड़की	द्वारा विशेष वाहक
22:15	न्यायालय/ कार्यालय तहसील परिसर रुड़की जनपद	
	हरिद्वार दिशा दक्षिण दूरी लगभग 85 kml	

नोटः प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिऐ और इसकी पुष्ठि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

1311-1 1/131 1/3	इस्तादार के द्वारा ठाना जाहिए।			
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व निवास –	धारा सहित अपराध	तहकीकात के	मुकदमें का
वाले वादी	स्थान	वाले जायी गयी	सम्बन्ध में जो	परिणाम
का नाम व		सम्पत्ति (यदि कोई हो	कार्यवाही की गयी	
स्थान		का संक्षिप्त विवरण)	तथा सूचना के दर्ज	
		,	करने में देरी होने का	
			कारण	
निरी0 पंकज पोखरियाल सतकेता अधिष्ठान देहरादून।	राजेन्द्र सिंह चौहान s/o स्वर्गीय गुलाब सिंह कनिष्ठ लिपिक/हाल सहायक , (पेशकार)चकबंदी अधिकारी चतुर्थ रुड़की तहसील रुड़की हरिद्वारा हाल पता,कृष्णा नगर 16 -0गली नं - मूल ,रुड़की जनपद हरिद्वार ,गंगनहर प्राम संहिसा तहसील चकराता-पता जिला देहरादून।	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में रु0 10,000/- की मांग करना व उत्कोच लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार होना जुर्म धारा उपरोक्त	सूचना पर मुकदमा तफ्तीशी काथम व दर्ज किया गया। तफ्तीश श्रीमान पुलिस अधीक्षक सतर्कता के अनुसार निरीक्षक श्री पवन कुमार द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

मु0अ0सं0-5/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम ओमप्रकाश यादव मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्टिक—देहरादून संख्या—5/23

घटना का दिनांक - 24/4/23

समय-17:20

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
गई	स्टेशन से दूरी	
24.4.23	सर्वे नायाब तहसीलदार कार्यालय	डाक द्वारा विशेष वाहक
20:20	पंचायत भवन विकास नगर जनपद	
	देहरादून दिशा जानिव उत्तर दूरी	
	करीब 42 km.	

नोटः प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्ठि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास – स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
निरी0 श्री मनोज रावत , सतकेता सैक्टर देहरादून।	श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र स्व 0 .50 0न0हाल म ,बृजलाल यादव टाईप,राजस्व कालोनी केदारपुरम ,2- ,हाल सर्वे लेखपाल -देहरादून पंचायत ,तहसीलदार कार्यालय नायब भवन विकास नगर। मूल पता- प्राम कौसंड पो0 जेमादेई तहसील सलेमपुर जिला देवरिया-30प्र0।	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में रु0 10,000/- की मांग करना व उत्कोच लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होना जुर्म धारा उपरोक्त	, सूचना पर मुकदमा तफ्तीशी कायम किया गया। तफ्तीश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार निरी0 श्रीमती किरन असवाल द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

मु0अ0सं0-6/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम विरेन्द्र कुमार मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्टिक—देहरादून

घटना का दिनांक- 11/5/23

समय-16:15

संख्या-6/23

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
गई	स्टेशन से दूरी	
11/5/23	अभियुक्त के घर चाऊमण्डी के पास	विशेष वाहक द्वारा
20:50	बने टीन सैड में जनपद हरिद्वार दिशा	
	दक्षिण दूरी करीब 85km.	

नोटः प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिऐ और इसकी पुष्ठि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास –स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें परिणाम	का
निरी0 श्री पंकज पोखरियाल सतकेता सैक्टर दे0दून।	विरेन्द्र कुमार S/O गंगा दास प्रेमी निवासी चाऊमण्डी रुड़की जनपद हरिद्वार हाल पटवारी तहसील रुड़की जनपद हरिद्वार।	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने की एवज में रु0 50,000/- की मांग करना तथा उत्कोच लेते गिरफ्तार (रंगे हाथों) होना जुर्म धारा उपरोक्त	सूचना पर मुकदमा तफ्तीशी कायम किया गया। तफ्तीश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार निरी0 श्री गणेश सिंह कुटियाल द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर	

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

मु0अ0सं0-7/23 धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम संदीप कुमार मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्टिक—देहरादून संख्या—7/23

घटना का दिनांक-22/9/23

समय-19:30

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
गई	स्टेशन से दूरी	
22/9/23	जिला सहकारी बैंक, मरगूबपुर,	विशेष वाहक द्वारा
23:30	बहादराबाद हरिद्वार दिशा दक्षिण दूरी	
	करीब 85km.	

नोटः प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्ठि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास –स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
निरी0 श्रीमती ज्योति चौहान सतर्कता सैक्टर दे0दून।	संदीप कुमार S/O श्री जल सिंह निवासी ग्राम सडौली पोस्ट व थाना झबरेडा हरिद्वार हाल जूनियर मैनेजर जिला सहकारी बैंक मरगूबपुर, बहादराबाद, हरिद्वारा	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने की एवज में 4,000/- रु0 की मांग करना तथा उत्कोच ग्रहण करते रंगे हाथों गिरफ्तारहोना जुमैधारा उपरोक्त	सूचना पर मुकदमा तफ्तीशी काथम किया गया। तफ्तीश श्रीमान SP महोदय के आदेशानुसार निरी0 श्री पंकज पोखरियाल करेंगे।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt.of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

मु0अ0सं0- 01/2023 धारा 07 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

बनाम धनेश कुमार शर्मा मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 01/2023

घटना का दिनांक- 23.01.2023

समय- 10.45 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
24.01.2023	घटना स्थल- उपजिलाधिकारी आवासीय परिसर स्थित कक्ष	डाक से
02.20	जिसे कार्यालय के रूप मेंकरने बाबत आरोपी द्वारा	
	बताया गया। तह0 किच्छा थाने से दूरी लगभग 38 कि0मी0	
	दिशा जानिब दक्षिण	

नोटः- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3		4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित	तहकीव	तात के सम्बन्ध में जो	मुकदमें
वाले वादी का	निवास-स्थान	अपराध वाले	कार्य	वाही की गयी तथा	का
नाम व स्थान		जायी गयी सम्पत्ति	सूचना	के दर्ज करने में देरी	परिणाम
		(यदि कोई हो का	-· •	होने का कारण	
		संक्षिप्त विवरण)			
निरीक्षक मनोहर	अभि0 धनेश कुमार शर्मा	अभि0 उपरोक्त द्वारा		दाखिल फर्द के	तफ्तीश
सिंह दसौनी	पुत्र श्री राम कुमार शर्मा	शिकायतकर्ता श्री मदन सिंह		आधार पर थाना	होकर
सतर्कता	मूल निवासी ग्राम	नेगी से खेत की पैमाईश (नपाई)		हाजा में मुकदमा	
अधिष्ठान सैक्टर	भिक्कमपुर जीतपुर थाना	कराने की एवज में रिश्वत की		तफ्तीशी पंजीकृत	
नैनीताल	लक्सर जनपद हरिद्वार	मांग करना तथा मौके पर		किया गया। श्रीमान	
(हल्द्वानी)	सी-225/14 सुभाषनगर	5000/- रूपये की उत्कोच के		पुलिस अधीक्षक	
	रूड़की हरिद्वार हाल	साथ पकड़ा जाना जुर्म धारा 07		महोदय के	
	राजस्वतहसील	भ्र0नि0अधि0 1988		आदेशानुसार तफ्तीश	
	किच्छा जनपद	(संशोधित 2018) की हद को		निरीक्षक हेम चन्द्र	
	ऊधमसिंहनगर	पहुचता है।		पाण्डेय के सुपुर्द की	
				गई।	

			^	7.		A		Α,
प्रथम	सूचना	પૃષ્ઠ	भाग	Н	ा लर	91	ગાયમ	Ш

हस्ताक्षर	एस0डी0
हस्ताक्षर	एस0डा0

पद

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड, नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

मु0अ0सं0- 02/2023 धारा 07 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

बनाम श्रीमती कविता

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 02/2023

घटना का दिनांक- 23.03.2023

समय- 02.50 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
23.03.2023	ग्राम पंचायत गिरधर नगर तहसील गदरपुर जनपद	डाक से
18.12	ऊधमसिंहनगर अभियुक्ता का घर थाने से दूरी लगभग	
	50कि0मी0 दिशा जानिब पश्चिम-दक्षिण	

नोटः- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले	तहकीकात के	मुकदमें
वाले वादी का	निवास-स्थान	जायी गयी सम्पत्ति (यदि	सम्बन्ध में जो	का
नाम व स्थान		कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	कार्यवाही की गयी	परिणाम
			तथा सूचना के दर्ज	
			करने में देरी होने का	
			कारण	
निरीक्षक हेम	अभियुक्ता श्रीमती कविता	अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा	दाखिल फर्द के	तफ्तीश
चन्द्र पाण्डेय	पत्नी श्री जगदीश गुम्बर	शिकायतकर्ता श्री कोशल	आधार पर थाना	होकर
सतर्कता	निवासी ग्राम गोपालनगर	कुमार आदि से स्वच्छ भारत	हाजा में मुकदमा	
अधिष्ठान सैक्टर	तहसील गदरपुर जिला	योजना के अन्तर्गत शौचालय	तफ्तीशी पंजीकृत	
नैनीताल	ऊधमसिंहनगर (ग्राम	के फार्म पर हस्ताक्षर करने की	किया गया। श्रीमान	
(हल्द्वानी)	प्रधान)	एवज में रिश्वत की मांग करना	पुलिस अधीक्षक	
		तथा मौके पर 6000/- रूपये	महोदय के	
		उत्कोच के साथ पकड़ा जाना व	आदेशानुसार तफ्तीश	
		जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण	निरीक्षक हेमा गुणवन्त	
		अधि0 (संशोधित 2018) की	के सुपुर्द की गई।	
		हद को पहुचाता है।		

प्रथम सूचना पृष्ठ भ	नाग में लिखी जायेगी।	हस्ताक्षर

ਧਟ			

.....एस0डी0......

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड, नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

मु0अ0सं0- 03/2023 धारा 07 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

बनाम बनाम अनिल जोशी व डा0 तपन कुमार शर्मा

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 03/2023

घटना का दिनांक- 08.05.2023

समय- 18.00 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
08.05.2023		डाक से
22.47		

नोटः- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले	तहकीकात के	मुकदमें
वाले वादी का	निवास-स्थान	जायी गयी सम्पत्ति (यदि	सम्बन्ध में जो	का
नाम व स्थान		कोई हो का संक्षिप्त	कार्यवाही की गयी	परिणाम
		विवरण)	तथा सूचना के दर्ज	
			करने में देरी होने का	
			कारण	
निरीक्षक हेम चन्द्र	अभि0(1)अनिल जोशी पुत्र श्री	अभि0 उपरोक्त द्वारा	दाखिल फर्द के आधार	तफ्तीश
पाण्डेय सतर्कता	शेखर चन्द्र जोशी निवासी	शिकायतकर्ता राजेन्द्र सिंह मेहता	पर थाना हाजा में	होकर
अधिष्ठान सैक्टर	हन्दूचौड़ थाना लालकुआ जिला	सेप्रचार प्रसार हेत्	मुकदमा तफ्तीशी	
नैनीताल	नैनीताल हाल लेखाकार	नुक्कर नाटक प्रोग्राम के पैों की	पंजीकृत किया गया।	
(हल्द्वानी)	(संविदा) क्षय रोग विभाग,	एवज में रिश्वत की मांग करना	श्रीमान पुलिस अधीक्षक	
	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार	तथा मौके पर 16000/- रूपये	महोदय के आदेशानुसार	
	कल्याण विभाग पुराना	उत्कोच के साथ पकड़ा जाना व	तफ्तीश निरीक्षक भानु	
	अस्पताल रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर	जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण	प्रकाश आर्य के सुपुर्द की	
	(2) डा0 तपन कुमार शर्मा पुत्र	अधि0 (संशोधित 2018) की	गई।	
	स्व0 श्री आर0 कुमार शर्मा	हद को पहुचाता है।		
	निवासी मो0 पक्का कटरा			
	कोतवाली आंवला जनपद बरेली			
	हाल अपर मुख्य			
	चिकित्साधिकारी रूद्रपुर।			

प्रथम सचना पष्ठ	भाग	में लि	खी	जायेगी।

हस्ताक्षरएस0डी0	

पत

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड, नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

मु0अ0सं0 04/2023 धारा 13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0 1988, 13(1)(बी) भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित 2018), 13(2) भ्र0नि0अधि0 1988 बनाम रजनीश कुमार पाण्डेय

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 04/2023

घटना का दिनांक- अदम तहरीर

समय-

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
01.08.2023	अदम तहरीर	डाक से
10.32		

नोटः- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले	तहकीकात के	मुकदमें
वाले वादी का	निवास-स्थान	जायी गयी सम्पत्ति (यदि	सम्बन्ध में जो	का
नाम व स्थान		कोई हो का संक्षिप्त	कार्यवाही की गयी	परिणाम
		विवरण)	तथा सूचना के दर्ज	
			करने में देरी होने का	
			कारण	
निरीक्षक भानु	रजनीश कुमार पाण्डेय वरिष्ठ	रजनीश कुमार पाण्डेय	वादि उपरोक्त की	तफ्तीश
प्रकाश आर्य	(भण्डारक) पुत्र स्व0 श्री नन्द	उपरोक्त द्वारा आय से अधिक	तहरीर के आधार पर	होकर
सतर्कता	किशोर पाण्डेय निवासी झॉ	सम्पत्ति अर्जित करना	थाना हाजा में	
अधिष्ठान सैक्टर	कॉलोनी पन्तनगर तहसील	अपराध धारा 13(1)(ई)	अभियोग तफ्तीशी	
नैनीताल	किच्छा जिला	भ्र0नि0अधि0 1988,	कायम किया गया	
(हल्द्वानी)	ऊधमसिंहनगर	13(1)(बी) भ्र0नि0अधि0	श्रीमान पुलिस	
		1988 (संशोधित 2018),	अधीक्षक महोदय के	
		13(2) भ्र0नि0अधि0 1988	आदेशानुसार तफ्तीश	
		की हद को पहुचाता है।	निरीक्षक ललिता	
			पाण्डेय के सुपुर्द की	
			गई।	

				7.		0		
प्रथम	सचना	पष्ठ	भाग	म	ालर	वा	जायेगी।	
				•				

हस्ताक्षर	एस0डी0
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

ਧਫ

पुलिस अधीक्षक,

सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,

नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

मु0अ0सं0- 05/2023 धारा 07 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

बनाम रमेश चन्द्र त्रिपाठी मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 05/2023

घटना का दिनांक- 24.08.2023

समय- 19.40 बजे

दिनांक व समय जबकि	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज
रिपोर्ट की गई		जाने का दिनांक
25.08.2023	मैट्रो पालिस मॉल/बिग बाजार मॉल के सामने पार्किंग (रूद्रपुर	डाक से
04.18	ऊधमसिंहनगर) थाना हाजा से दूरी लगभग 30कि0मी0 दिशा	
	जानिब दक्षिण	

नोटः- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले	तहकीकात के	मुकदमें
वाले वादी का	निवास-स्थान	जायी गयी सम्पत्ति (यदि	सम्बन्ध में जो	का
नाम व स्थान		कोई हो का संक्षिप्त	कार्यवाही की गयी	परिणाम
		विवरण)	तथा सूचना के दर्ज	
			करने में देरी होने का	
			कारण	
निरीक्षक	अभि0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी	अभि0 उपरोक्त द्वारा	दाखिल फर्द के	तफ्तीश
ललिता पाण्डेय	पुत्र गंगा प्रसाद त्रिपाठी हाल	शिकायतकर्ता श्री रिंकू कुमार	आधार पर थाना	होकर
सतर्कता	तैनाती जिला पंचायत राज	से जिला पंचायत में किये	हाजा में अभियोग	
अधिष्ठान सैक्टर	अधिकारी जनपद	गये कार्यों की पेमेंट करने के	तफ्तीशी पंजीकृत किया	
नैनीताल	ऊधमसिंहनगर हाल निवासी	बदले रिश्वत की मांग करना	गया। श्रीमान पुलिस	
(हल्द्वानी)	आफिसर कालोनी म0नं0	तथा मौके पर 1,00,000 /-	अधीक्षक महोदय के	
	05 निकट विकास भवन	रूपये उत्कोच के साथ	आदेशानुसार तफ्तीश	
	रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर।	पकड़ा जाना व जुर्म धारा 7	निरीक्षक हेमा	
		भ्रष्टाचार निवारण अधि0	गुणवन्त के सुपुर्द की	
		(संशोधित 2018) की हद	गई।	
		को पहुचाता है।		

		7. (\sim	1 0.
प्रथम सूचना पृष्ठ	भाग	ΠI	लखा	जायगा।
74.1 (14.11.10			(I)	*11 -1 111

हस्ताक्षर	एस0डी0
C. (() 4 ()	······ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

पद

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड, नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।

मु0अ0सं0- 06/2023 धारा 07 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

बनाम दीपक मेहता एवं उमेश सिंह बिष्ट

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब- डिस्ट्रिक्ट- नैनताल

संख्या- 06/2023

घटना का दिनांक- 05.09.2023

समय-16.00, 18.30 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेज जाने का दिनांक
05.09.2023	राज्य कर अधिकारी कार्यालय नैनीताल थाना हाजा से दूरी	डाक से
23.30	लगभग 44कि0मी0 दिशा जानिब उत्तर पूरब	

नोटः- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले	तहकीकात के	मुकदमें
वाले वादी का	निवास-स्थान	जायी गयी सम्पत्ति (यदि	सम्बन्ध में जो	का
नाम व स्थान		कोई हो का संक्षिप्त	कार्यवाही की गयी	परिणाम
		विवरण)	तथा सूचना के दर्ज	
			करने में देरी होने का	
			कारण	
निरीक्षक भानू	(1)दीपक मेहता पुत्र आनन्द सिंह	अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता	दाखिल फर्द के आधार	तफ्तीश
प्रकाश आर्य	मेहता निवासी ग्राम गरगढ़ी	मनोज जोशी जी0एस0टी0	पर थाना हाजा में	होकर
सतर्कता अधिष्ठान	तल्ली पो0 झड़गॉव ब्लाक	रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु रिश्वत	अभियोग तफ्तीशी	
सैक्टर नैनीताल	ओखलकाण्डा जिला नैनीताल	की मांग करना तथा मौके पर	पंजीकृत किया गया।	
(हल्द्वानी)	हाल अनुपक्ष विहार निकट	3,000/- रूपये उत्कोच के साथ	श्रीमान पुलिस अधीक्षक	
	सरस्वती अकादमी ब्लाक थाना	पकड़ा जाना व जुर्म धारा 7	महोदय के आदेशानुसार	
	मुखानी नैनीताल।	भ्रष्टाचार निवारण अधि0	तफ्तीश निरीक्षक हेम	
	(2)उमेश सिंह बिष्ट पुत्र नैन सिंह	(संशोधित 2018) की हद को	चन्द्र पाण्डे के सुपुर्द की	
	बिष्ट निवासी कृष्णा कॉलोनी	पहुचाता है।	गई।	
	गली नं0 ऊंचापुल हल्द्वानी			
	नैनीताल।			

				7.	\sim	Ω		
प्रथम	सूचना	प्रष्र	भाग	Ħ	लिख	त्रा	जायगा	ı
<i>></i> (()	× -1 11	۰		•		41	-11 1 11	•

हस्ताक्षरएस	0डੀ0
-------------	------

पद

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,

नैनीताल सैक्टर हल्द्वानी।